न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला (टोंक)

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्याः– 360/2023

निर्णय दिनांक :– 8/5/24

राजस्वी प्रार्थना पत्र :–

1. अजय पुत्र दुर्गालाल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. कालूराम पुत्र सुवा जाति बलाई उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. घीसी पुत्री कल्याण जाति बलाई उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. नाबालिक दिव्या पुत्री बजरंगलाल सरंक्षक माता शांति देवी पत्नि स्व0 बजरंगलाल जाति बलाई निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. मनभर पत्नि स्व0 सुवा जाति बलाई उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. लाड़ पुत्री सुवा जाति बलाई उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. विमला देवी पत्नि स्व0 दुर्गालाल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
8. श्योजी पुत्र कल्याण जाति बलाई उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
9. शांति देवी पत्नि स्व0 बजरंग लाल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
10. सरोज पुत्री दुर्गालाल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :– श्री अशोक कुमार गुप्ता, श्री राकेश मीणा अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप इस प्रकार है कि संयुक्त खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 111 खसरा नम्बर 29 रकबा 1.47 है0, खसरा नम्बर 30 रकबा 3.10 है0 कुल किता–2 कुल रकवा 4.57 है0 वाके ग्राम बासखेड़िया पटवार हल्का मुगलाना तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण ने पूर्व में उक्त भूमि की नाप चोप करवायी थी जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मोके पर प्रार्थीगण एवं अड़ोस पड़ोस के खातेदारो के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि बाबत् उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिये उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी नही करवायी गयी तो मोके पर गंभीर विवाद होगा, लडाई झगडा होगा तथा अनावश्यक रूप से मुकदमे बाजी बढेगी। उक्त भूमि बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नही है और किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी नही है। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढी का शुल्क जमा कराने को तैयार है। आराजी भूमि श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :– उक्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज में दर्ज रिकॉर्ड है खसरा नम्बर 30 पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है किन्तु खसरा नम्बर 29 पर पड़ौसी खातेदारों द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है। अर्थात् खसरा नम्बर 29 पर प्रार्थीगण का कब्जा नही है। आवेदक का पड़ौसी खसरा नम्बर 22 के खातेदारों प्रहलाद भंवरलाल शंकर पुत्र लादी देवी पुत्री रामचन्द्र, जगदीश, नानूलाल, श्योजीलाल पुत्र मनभर, सोसर पुत्री हरकरण,

पत्नि किशनलाल जाति जाट सा. सरोली खातेदारों से सीमा विवाद की है। आवेदक समस्त के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। खातेदार पुत्र कल्याण जाति बालाई का परिवारजनों एवं ग्रामवासियों ने पिछले लगभग वर्षों से लापता होना बताया है। अन्य किसी भी पक्षकार का नामान्तकरण अवशेष रही है। आवेदक का जिन खातेदारों से विवाद है उनको पक्षकार नही बनाया गया है उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड उक्त आराजी में किसी न्यायालय से स्थगन नहीं है। आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमिक राजकीय भूमि नही है। पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बासखेडिया के खसरा नम्बर 29 पर प्रार्थीगणों का कब्जा न होकर पड़ौसी खातेदारों द्वारा कब्जा काश्त है। अर्थात् खसरा नम्बर 29 पर प्रार्थीगण का कब्जा नही होने से खसरा नम्बर 29 पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित नही है। अतः ग्राम बासखेडिया के खसरा नम्बर 29 को छोडकर अन्य खसरा नम्बर 30 के संबंध में तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी का कब्जा होने पर नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर, जमाबंदी सम्वत् 2073–76 में अंकित खाता संख्या 111 खसरा नम्बर 30 रकबा 3.10 है0 वाके ग्राम बासखेड़िया पटवार हल्का मुगलाना तहसील दूनी जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली